# बिहार सरकार, कृषि विभाग
# बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

**नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) अंतर्गत आत्मा योजना तथा आत्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना मद में बामेती/स्टेट नोडल सेल पटना में स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन एवं विज्ञापन सामग्री (Reference for Proposal)**

1. **परिचय** – नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन अंतर्गत सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा योजना) तथा आत्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना मद में बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना एवं स्टेट नोडल सेल में स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन किया जाना है।

2. **आवेदन का आमंत्रण** – आवेदन पत्र सभी वांछित प्रमाणपत्रों के साथ विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 30.01.2018 के 5.00 बजे अपराहन तक बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) बिहार, पटना, निकट सी0पी0आर0एस0, महिला पॉलिटेकनीक कॉलेज के सामने, पो0ऑ0– बी0भी0 कॉलेज, पटना 800 014 के पत्ते पर पहुँच जाना चाहिए। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/निबंधित पोस्ट डाक द्वारा अथवा हैण्ड टू हैण्ड बामेती कार्यालय में जमा किया जा सकता है। उक्त निर्धारित समय एवं तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसके लिए बामती कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।

3. **बामेती/स्टेट नोडल सेल (आत्मा) में रिक्त पदों का विवरण**– पदवार श्रेणी/कोटि, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव तथा नियत वेतनमान का विवरण निम्न प्रकार से है –

| S. No. | Particulars | No. of Post and Categories | Essential Qualifications | Experience | Fixed Salary/ Emolument |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gender Coordinator (ATMA Scheme) | 01 (General) | Post Graduate degree in Agriculture and allied sector including Home Science, Extension or Sociology. | Minimum 05 years experience in agricultural extension or gender related work. | 36300/- per month |
| 2. | Accountant (ATMA Scheme) | 01 (General) | B.Com./MBA | Minimum 03 years experience in accountancy in reputed organization. | 13310/- |
| 3. | Computer Operator (ATMA Scheme) | 01 (General) | Graduation and Post Graduate Diploma in Computer Applications or Equivalent Certificate from a reputed organization | Minimum 01 year experience in computer operation in reputed organization | 13310/- |

| S. No. | Particulars | No. of Post and Categories | Essential Qualifications | Experience | Fixed Salary/ Emolument |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Store Keeper (State Plan) | 01 (General) | Graduate with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration. | Minimum 03 years experience in reputed organization/ institution | 13310/- |
| 5. | Stenographer-cum-clerk (State Plan) | 01 (General) | Graduate with knowledge of Short hand and Computer operation. | Minimum 03 years experience in reputed organization/ institution | 13310/- |

**3. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता:**

- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
- कंडिका संख्या–2 में अंकित सभी अर्हता को पूरा करता हो।
- सभी पदों के लिए दिनांक 01.01.2018 को अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए।

**4. आरक्षण** – सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिये समय–समय पर निर्धारित आरक्षण प्रावधान वर्तमान नियोजन में लागू होंगे।

नोट – आरक्षण केवल बिहार के निवासियों के लिए देय होगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार से जाति प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग महिला/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला/महिला) आवेदन के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

**5. आवेदन देने की प्रक्रिया** – आवेदन पत्र कार्यालय अवधि में बामेती कार्यालय से किसी भी दिन प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप कृषि विभाग के वेबसाईट एवं बामेती के वेबसाईट पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

**6. नियोजन हेतु समय सीमा का निर्धारण –**

| क्र0सं0 | कार्य का विवरण | समय सीमा |
|---|---|---|
| 1. | आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय | 30.01.2018, 5.00 बजे अपराहन |
| 2. | प्रमाणपत्रों के सत्यापन के पश्चात सही आवेदकों की सूची का कृषि विभाग एवं बामेती के वेबसाईट पर प्रकाशन | 01–03 फरवरी, 2018 |
| 3. | आपत्ति देने की तिथि | 05–07 फरवरी, 2018 |
| 4. | आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात Final List of Shortlisted Candidates का कृषि विभाग एवं बामेती के वेबसाईट पर प्रकाशन | 08–09 फरवरी, 2018 |
| 5. | काउंसिलिंग एवं साक्षात्कार हेतु मेधा सूची के आधार पर प्रत्येक पद के लिए 05 अभ्यर्थियों की वरीयता सूची का प्रकाशन | 10–12 फरवरी, 2018 |

| क्र0सं0 | कार्य का विवरण | समय सीमा |
|---|---|---|
| 6. | काउंसिलिंग एवं साक्षात्कार हेतु मेधा सूची के आधार पर प्रत्येक पद के लिए 05 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजन की तिथि | 16–17 फरवरी, 2018 |
| 6.क. | कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं आशुलिपिक–सह–लिपिक | 16 फरवरी, 2018 |
| 6.ख. | लेखापाल एवं भंडारपाल | |
| 6.ग. | जेण्डर कोऑर्डिनेटर | 17.02.2018 |

**7. नियोजन प्रक्रिया पूरी कराने हेतु राज्य स्तर पर समिति का गठन –**

7.1. जेण्डर कोऑर्डिनेटर के संविदा आधारित पद पर नियोजन हेतु साक्षात्कार समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है–

निदेशक, कृषि, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी – अध्यक्ष

निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी – सदस्य

निदेशक पी0पी0एम0, बिहार, पटना – सदस्य

संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस – सदस्य

श्री आर0के0वर्मा0, संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्य के रूप में – सदस्य

निदेशक, बामेती – सदस्य सचिव

- निदेशक, बामेती, बिहार, पटना "नियोजन प्राधिकार" की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।

7.2. लेखापाल एवं अन्य तृतीय श्रेणी के कर्मियों का संविदा आधारित नियोजन हेतु साक्षात्कार समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है–

- निदेशक, बामेती, बिहार, पटना – अध्यक्ष
- संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी)–सह–प्रभारी पदाधिकारी (आत्मा नोडलसेल), बिहार, पटना – सदस्य
- उप निदेशक (सर्विलेन्स), बिहार, पटना – सदस्य
- उप निदेशक (शस्य) सूचना – सदस्य
- आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना – सदस्य
- डा0 ब्रजेश कुमार, संयुक्त निदेशक, फसल एवं प्रक्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्य के रूप में – सदस्य
- उप निदेशक (सूचना तकनीक), बामेती, बिहार, पटना – सदस्य सचिव

निदेशक, बामेती, बिहार, पटना "नियोजन प्राधिकार" की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।

## 8. विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन की प्रक्रिया –

### 8.1. जेण्डर कोऑर्डिनेटर के पद के लिए –

8.1.1. जेण्डर कोऑर्डिनेटर के लिए मेधा सूची का निर्धारण हेतु शैक्षणिक योग्यता पर 30 अंक, अनुभव के लिए 10 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 10 अंक निर्धारित किया जाता है यानि नियोजन हेतु कुल 50 अंक निर्धारित किया जाता है।

क. शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक निम्न प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं–

| शैक्षणिक योग्यता का विवरण | ग्रेड / डिवीजन वार अंक का निर्धारण | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| | विशेष योग्यता (75 प्रतिशत अंक एवं उससे अधिक) | प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत एवं इससे अधिक तथा 75 प्रतिशत से कम) | द्वितीय श्रेणी (45 प्रतिशत एवं इससे अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम) | |
| मैट्रिक (10 पास) | 03 | 02 | 01 | |
| इंटरमीडिएट | 03 | 02 | 01 | |
| स्नातक | 20 | 15 | 10 | |
| स्नातकोत्तर | 04 | 03 | 02 | |

ख. अनुभव के लिए अंक का निर्धारण – सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जायेंगे। अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा –

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के संविदा आधारित नियोजन के लिए निर्गत संकल्प के अनुसार उपर्युक्त पदों के लिए निर्धारित अनुभव वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अंकों में अधिमान्यता निम्न प्रकार से दी जाएगी –

निर्धारित अनुभव वर्ष से 01 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 02 अंक
निर्धारित अनुभव वर्ष से 02 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 04 अंक
निर्धारित अनुभव वर्ष से 03 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 06 अंक
निर्धारित अनुभव वर्ष से 04 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 08 अंक
निर्धारित अनुभव वर्ष से 05 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 10 अंक

नोट – यह अधिमान्यता केवल बामेती / आत्मा / सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग / अर्द्धसरकारी प्राधिकार / अर्द्धसरकारी निगम / अर्द्धसरकारी बोर्ड में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए उन्हें सक्षम प्राधिकार से अनुभव प्रमाणपत्र समर्पित करना होगा।

ग. साक्षात्कार कंडिका संख्या 7.1. में प्रस्तावित साक्षात्कार समिति के समक्ष आयोजित किया जाएगा।

8.1.2. आपत्तियों के निस्तारण एवं Final List of Shortlisted Candidates का कृषि विभाग एवं बामेती के वेबसाईट पर प्रकाशन के उपरांत अभ्यर्थियों की संख्या 05 से ज्यादा होने पर शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को जोड़कर वरीयता सूची बनाई जाएगी और

अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले प्रथम 05 अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा।

8.1.3. शैक्षणिक योग्यता, साक्षात्कार एवं अनुभव के अंकों को जोड़कर अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को नियोजित करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी। शेष आवेदकों के वरीयता के आधार पर (अंकों के प्राप्तांक) प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। किसी कारणवश सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के योगदान नहीं करने अथवा नियोजन किसी कारणवश रद्द होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के प्रथम वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी का नियोजन निदेशक, बामेती, बिहार, पटना के द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत किया जाएगा।

8.1.4. चयनित उम्मीदवारों के प्रमाणपत्र के सत्यापन के पश्चात हीं उनके नियत वेतन आदि का भुगतान किया जाएगा।

**8.2. लेखापाल एवं अन्य तृतीय श्रेणी के कर्मियों के नियोजन की प्रक्रिया –**

8.2.1. उपर्युक्त पदों के लिए मेधा सूची के निर्धारण हेतु शैक्षणिक योग्यता पर 30 अंक, अनुभव के लिए 10 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 10 अंक निर्धारित किया जाता है यानि नियोजन हेतु कुल 50 अंक निर्धारित किया जाता है।

क. शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक निम्न प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं–

| **शैक्षणिक योग्यता का विवरण** | **ग्रेड/डिवीजन वार अंक का निर्धारण** | | | **अभ्युक्ति** |
|---|---|---|---|---|
| | विशेष योग्यता (75 प्रतिशत अंक एवं उससे अधिक) | प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत एवं इससे अधिक तथा 75 प्रतिशत से कम) | द्वितीय श्रेणी (45 प्रतिशत एवं इससे अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम) | |
| मैट्रिक (10 पास) | 03 | 02 | 01 | |
| इंटरमीडिएट | 03 | 02 | 01 | |
| स्नातक | 20 | 15 | 10 | |
| स्नातकोत्तर | 04 | 03 | 02 | |

ख. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जायेंगे। अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा –

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के संविदा आधारित नियोजन के लिए निर्गत संकल्प के अनुसार उपर्युक्त पदों के लिए निर्धारित अनुभव वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अंकों में अधिमान्यता निम्न प्रकार से दी जाएगी –

निर्धारित अनुभव वर्ष से 01 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 02 अंक
निर्धारित अनुभव वर्ष से 02 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 04 अंक
निर्धारित अनुभव वर्ष से 03 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 06 अंक
निर्धारित अनुभव वर्ष से 04 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 08 अंक
निर्धारित अनुभव वर्ष से 05 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 10 अंक

नोट – यह अधिमान्यता केवल बामेती/आत्मा/सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/अर्द्धसरकारी प्राधिकार/अर्द्धसरकारी निगम/अर्द्धसरकारी बोर्ड में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए उन्हें सक्षम प्राधिकार से अनुभव प्रमाणपत्र समर्पित करना होगा।

ग. कंडिका संख्या 7.2. में प्रस्तावित साक्षात्कार समिति के समक्ष आयोजित किया जाएगा।

8.2.2. आपत्तियों के निस्तारण एवं Final List of Shortlisted Candidates का कृषि विभाग एवं बामेती के वेबसाईट पर प्रकाशन के उपरांत अभ्यर्थियों की संख्या 05 से ज्यादा होने पर शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को जोड़कर वरीयता सूची बनाई जाएगी और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले प्रथम 05 अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा।

8.2.3. शैक्षणिक योग्यता, साक्षात्कार एवं अनुभव के अंकों को जोड़कर अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को नियोजित करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी। शेष आवेदकों के वरीयता के आधार पर (अंकों के प्राप्तांक) प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। किसी कारणवश सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के योगदान नहीं करने अथवा नियोजन किसी कारणवश रद्द होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के प्रथम वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी का नियोजन निदेशक, बामेती, बिहार, पटना के द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत किया जाएगा।

8.2.4. चयनित उम्मीदवारों के प्रमाणपत्र के सत्यापन के पश्चात हीं उनके नियत वेतन आदि का भुगतान किया जाएगा।

9. सेवा अवधि अधिकतम 60 वर्षो तक की आयु तक हीं सीमित होगी।

10. **<u>एकरारनामा</u>** – संविदा आधारित नियोजन के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं निदेशक बामेती, बिहार, पटना के बीच एक एकरारनामा संलग्न निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा।

11. **नियोजन की अवधि** – संविदा के आधार पर नियोजन एक (01) वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा अवधि विस्तार किया जा सकेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर, मूल्यांकन के आधार पर, सेवामुक्त किया जा सकता है।

12. **नियोजन की समाप्ति** – अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार से नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

13. **अपीलीय प्राधिकार** – निदेशक, बामेती के प्रतिवेदन के आधार पर नियोजित कर्मियों को हटाने का अधिकार प्रधान सचिव, कृषि/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना–सह–अध्यक्ष बामेती शासी परिषद को होगा। नियोजन के संबंध में किसी भी प्रकार की अपील प्रधान सचिव, कृषि/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के स्तर पर की जायेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

14. **संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व** – कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गनिर्देश के आलोक में राज्य सरकार, अंतर्विभागीय कार्यसमूह (IDWG), बामेती शासी परिषद, बामेती कार्यकारिणी समिति एवं निदेशक बामेती द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नियोजित कर्मियों को करना होगा। संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व बामेती के माध्यम से आत्मा योजना को सफल एवं पारदर्शी तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना है।

## नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) अंतर्गत आत्मा योजना तथा आत्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना मद में बामेती/स्टेट नोडल सेल पटना में स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु आवेदन का प्रपत्र

पासपोर्ट आकार का स्व–अभिप्रमाणित फोटो चिपकावें

1. पद का नाम –
2. आवेदक/आवेदिका का नाम –
3. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम –
4. आवेदक/आवेदिका का स्थायी पता –

   ग्राम/मो0 – पथ सं0/मकान सं0 – पोस्ट –

   थाना – जिला – ाज्य –

   पिन कोड सं0 –
5. आवेदक/आवेदिका का पत्राचार का पता –

   ग्राम/मो0 – पथ सं0/मकान सं0 – पोस्ट –

   थाना – जिला – राज्य –

   पिन कोड सं0 –
6. आवेदक/आवेदिका की जन्म तिथि (10th बोर्ड के प्रमाणपत्र की प्रति) –
7. 01.01.2018 को आवेदक/आवेदिका का उम्र– ........ वर्ष ........... माह ........... दिन
8. आरक्षण कोटि –

   (सामान्य/अत्यंत पिछड़ा वर्ग)

   (आरक्षण के लिए आवेदक सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करेंगे।)
9. आवेदक/आवेदिका का लिंग (पुरूष/महिला) –
10. आवेदक/आवेदिका का दूरभाष/मोबाईल सं0 –
11. आवेदक/आवेदिका का ईमेल आई0डी0 –
12. आवेदक/आवेदिका का आधार संख्या एवं निर्गत की तिथि –

15. **अवधि विस्तार की अधिसीमा–** चूँकि आत्मा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, अतएव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार संविदा के आधार पर यह नियोजन तभी तक मान्य होगा जब तक आत्मा योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से योजना की स्वीकृति तथा आवश्यक निधि (Fund) प्राप्त होती रहेगी।

16. सभी प्रकार के वादों का निष्पादन पटना शहर (बिहार) अवस्थित माननीय न्यायालय में सम्पादित किया जाएगा।

08/01/18

**निदेशक**
**बामेती, बिहार, पटना**

13. पैन संख्या –

14. आवेदक/आवेदिका के शैक्षणिक योग्यता का विवरण –

| परीक्षा का नाम | बोर्ड/संस्थान/ विश्वविद्यालय का नाम एवं पता | स्पेशलाइजेशन | उत्तीर्ण का वर्ष | कुल अंक | कुल प्राप्त अंक | प्राप्त प्रतिशत अंक | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मैट्रिक/10th बोर्ड | | | | | | | |
| इण्टरमीडिएट/ 10+2 | | | | | | | |
| स्नातक | | | | | | | |
| स्नातकोत्तर | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | |

15. अद्यतन कार्य अनुभव का विवरण

| क्र0 सं0 | पद का नाम | पद का विवरण (सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ गैरसरकारी) | प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्था/ पदाधिकारी/ विश्वविद्यालय का नाम एवं पता | कार्य करने की अवधि | | | कार्य का संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | से | तक | कुल (वर्ष में) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन पत्र/संविदा आधारित नियोजन को कभी भी रद्द किया जा सकता है तथा विधि सम्वत कार्रवाई की जा सकती है।

तिथि –

स्थान –

आवेदक/आवेदिका
का हस्ताक्षर

# संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा ........................ एवं संविदा के आधार पर चयनित/नियोजित होने वाले श्री/सुश्री/श्रीमती ................ के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है :–

1. यह नियोजन केवल ........................ (पद का नाम) के लिए किया गया है।
2. संविदा की अवधि की समाप्ति पर ऐसा नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री/श्रीमती/सुश्री............................. को रू0 .............(. ........................ रूपये) एकमुश्त पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
5. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानांतरणीय नहीं होगी।
7. नियोजन के समय नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
8. इस प्रकार का नियाजन संविदा अवधि (Contract Period) की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि का एकमुश्त भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।
9. वर्तमान में यह नियोजन केवल एक वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए किया जा रहा है। मूल्यांकन के उपरांत कार्य संतोषजनक पाए जाने पर सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है। कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर मूल्यांकन के आधार पर कभी भी सेवा समाप्त किया जाएगा। यह योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति एवं इसके लिए मिलने वाली राशि पर निर्भर करेगा।
10. संविदा पर नियोजन के पश्चात दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्त्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति उपर्युक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
11. यह एकरारनामा दिनांक ................. से प्रभावी होगा।

(          )                  (          )

............................                  नियोजित व्यक्ति